Press Release
24.06.2026

मैसर्स राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के विरुद्ध बेंगलुरु एवं मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा तलाशी एवं जब्ती की कार्रवाई

प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के अंतर्गत बेंगलुरु एवं मुंबई में स्थित 9 परिसरों पर तलाशी एवं जब्ती की कार्रवाई की है। मैसर्स राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (आरईएल) तथा उससे जुड़े व्यक्तियों द्वारा फेमा, 1999 के प्रावधानों के संदिग्ध उल्लंघनों के संबंध में चल रही जांच के क्रम में दिनांक 23.06.2026 को तलाशी कार्रवाई प्रारंभ की गई।

जांच में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अनेक मुद्दों की पहचान की गई है:

(i) विदेशी लेन-देन से संबंधित अभिलेखों की अनुपलब्धता: आरईएल अपने विदेशी लेन-देन, जिनमें आयात, निर्यात, विदेशी निवेश तथा विदेशी व्यापार से संबंधित प्राप्य एवं देय राशियों का निपटान शामिल है, के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रही। इसके परिणामस्वरूप ऐसे लेन-देन की वास्तविकता का सत्यापन लगभग असंभव हो गया। उदाहरणार्थ, अफ्रीकी खानों में 1,035 करोड़ रुपये के कथित निवेश से संबंधित समकालीन अभिलेख एवं दस्तावेज न तो तलाशी के दौरान पाए गए और न ही कंपनी द्वारा अब तक उपलब्ध कराए गए हैं।

(ii) लगभग 3,000 करोड़ रुपये की विदेशी व्यापार से संबंधित बड़ी प्राप्य राशियों का विदेशी व्यापार से संबंधित देय राशियों के विरुद्ध अपारदर्शी समायोजन/सेट-ऑफ: जांच में यह पाया गया कि कंपनी संयुक्त अरब अमीरात तथा अन्य विदेशी अधिकारिताओं में स्थित संदिग्ध विदेशी पक्षकारों से संबंधित व्यापारिक देय एवं प्राप्य राशियों का परस्पर समायोजन कर रही थी।

(iii) स्टॉक में विसंगति: तलाशी के दौरान किए गए स्टॉक के भौतिक सत्यापन से कारखाना रजिस्टरों में दर्ज स्टॉक तथा परिसरों पर वास्तव में पाए गए भौतिक स्टॉक के बीच लगभग 40 प्रतिशत का अंतर सामने आया।

(iv) प्रमुख कार्मिकों को दिया गया असंगत पारिश्रमिक: कंपनी के प्रमुख व्यावसायिक संकेतकों में सामान्य वाणिज्यिक प्रथाओं से उल्लेखनीय विचलन पाया गया। उदाहरणार्थ, कंपनी के परिचालन के व्यापक स्तर की तुलना में वरिष्ठ प्रबंधन को दिया गया पारिश्रमिक असामान्य रूप से कम था। मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) को वर्ष 2020 से कोई वेतन नहीं दिया गया, जबकि कंपनी द्वारा लगभग 7.7 लाख करोड़ रुपये का समेकित राजस्व दर्शाए जाने के बावजूद प्रबंध निदेशक (एमडी) को केवल लगभग 17,000 रुपये प्रतिमाह का भुगतान किया गया।

(v) संदिग्ध ब्लॉक सौदे एवं शेयरों में हेरफेर: जांच में आरईएल के शेयरों में कुछ व्यक्तियों द्वारा किए गए संदिग्ध ब्लॉक सौदों का पता चला है। इन व्यक्तियों के नाम इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (आईसीआईजे) द्वारा सार्वजनिक किए गए लीक दस्तावेजों में भी सम्मिलित हैं, जो संभावित अघोषित विदेशी संबंधों की ओर संकेत करते हैं और जिनकी जांच की जा रही है। उदाहरणार्थ, यह सामने आया कि एनआरआई बेनामीदारों का उपयोग कर शेयरों में हेरफेर के माध्यम से 600 करोड़ रुपये से अधिक की राशि भारत से बाहर विपथित की गई।

तलाशी कार्रवाई के दौरान विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज एवं डिजिटल साक्ष्य जब्त/बरामद किए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है।

आगे की जांच प्रगति पर है।